न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 12/20 सन् 2020

RCMS NO-2020/00091

बउनवानीः–1. जलधारी पुत्र स्व0श्री प्रहलाद मीना निवासी भैसखेडा तहसील सवाईमाधोपुर

2. श्रीमति मोत्या पत्नि स्व0 प्रहलाद मीना निवासी भैसखेडा तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर
2. ग्राम पंचायत सेलू जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सेलू
3. तुलसीराम पुत्र स्व0 श्री सुखजी मीना निवासी भैसखेडा तहसील सवाईमाधोपुर
4. श्रीमति केसर देवी पत्नि स्व0 सुखजी मीना निवासी भैसखेडा तह0 सवाईमाधोपुर
5. कमलेश दत्तक पुत्र हरजी जाति मीना निवासी भैसखेडा तह0 सवाईमाधोपुर
6. श्रीमति लाली देवी पत्नि स्व0 गोरधन मीना नि0 भैसखेडा तह0 सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 8 निर्णय दिनांक 16.09.1998 वाके ग्राम भैसखेडा तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः– 1. श्री श्यामसुन्दर गुप्ता वकील अपीलान्ट

2. श्री रघुवीर सिंह राजावत वकील रेस्पो0

–: निर्णय :– **दिनांक 11.01.2023**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 8 नर्णय दिनांक 16.09.1998 वाके ग्राम सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि नामा0 के पूर्व नामा0 संख्या 70 तस्दीक दिनांक 2.12.1978 खातेदार छीतर पुत्र रामरतन मीना की विरासत का उसके पुत्रो के नाम भरा जाकर तस्दीक किया गया था लेकिन इस नामा0 मे अपीलान्ट नम्बर 1 के पिता एवं अपीलान्ट संख्या 2 के पति का नाम प्रहलाद के स्थान पर गलत रूप से कैलाश दर्ज कर दिया तथा अपीलान्ट संख्या 1 के पिता प्रहलाद एवं उनके भाई सुखजी, हरजी एवं गोरधन अशिक्षित एवं ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने के कारण उनका इस त्रुटि पर ध्यान नही गया इस कारण वे उस समय ऐतराज नही कर सके तथा नामा0 तस्दीक के समय सरपंच महोदय ने इस त्रुटि पर गौर नही फरमाया जिस कारण नामा0 तस्दीक होते समय नाम की यह त्रुटि पर ध्यान नही दिया तथा नाम की दुरूस्ती नही हो सकी ओर प्रहलाद के स्थान पर कैलाश का ही नाम रह गया जबकि कैलाश पुत्र छीतर नाम का कोई व्यक्ति ग्राम भैसखेडा मे नही है। इस नामा0 संख्या 70 मे हुई उक्त नाम की त्रुटि के कारण जमाबन्दी रिकार्ड में प्रहलाद के स्थान पर नामा0 के आधार पर अशुद्व नाम कैलाश ही दर्ज हुआ। अपीलान्ट संख्या 1 के पिता एवं अपीलान्ट संख्या 2 के पति उक्त प्रहलाद पुत्र छीतर मीना आज से पूर्व 24 वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका है। अपीलान्ट संख्या 1 व 2 उसके जाईज वारिसान है। अपीलान्ट के पिता के भाई सुखजी, हरजी व गोरधन का भी देहान्त हो चुका है तथा रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 6 उनके वारिसान है जो जमाबन्दी रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.08 17:50:04 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

मे उनके स्थान पर दर्ज हो चुके है। आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 2.7.2020 को पटवारी हल्का के बताये जाने पर प्राप्त हुई है एंव प्राप्त जानकारी से अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो. द्वारा दौराने बहस अपीलान्ट के पिता एवं पति का नाम कैलाश के स्थान पर प्रहलाद किये जाने पर कोई आपत्ति नही की गयी किन्तु पैरोकार राजस्व द्वारा दोराने बहस कथन किया कि अपीलान्ट के पिता एवं पति का नाम केलाश आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 8 दिनांक 16.9.1998 मे नही हुआ है उक्त नामा0 मे केलाश की विरासत का नामा0 अपीलान्टगण (जलधारी एवं श्रीमति मोत्या)के नाम खोला गया है अर्थात उक्त नामा0 मे अपीलान्ट का नाम सही है। जहॉ तक अपीलान्ट के पिता का नाम प्रहलाद के स्थान पर केलाश होने के प्रश्न है तो उक्त त्रुटि पूर्व नामा0 संख्या 70 दिनांक 2.12.1978 जो कि खातेदार छीतर पुत्र रामरतन मीना की विरासत का उसके पुत्रो (सुखजी, हरजी एवं गोरधन, प्रहलाद के स्थान पर केलाश) के नाम गलत तरीके से भरा जाकर तस्दीक किया गया था । वकील अपीलान्ट के कथनानुसार अपीलान्ट के पिता का गलत नाम पूर्व नामा0 संख्या 70 मे दर्ज हुआ है इसलिए उक्त त्रुटि को सही करवाने हेतु अपीलान्ट को नामा0 संख्या 70 की अपील सक्षम न्यायालय मे करनी चाहिए। आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार की विधि त्रुटि नही होने के कारण हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया है।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट के पिता का नाम प्रहलाद के स्थान पर केलाश पूर्व नामा0 संख्या 70 दिनांक 2.12.1978 को दर्ज फैसल करते समय हुआ है। उक्त नामा0 खातेदार छीतर पुत्र रामरतन मीना निवासी भैसखेडा की विरासत का उसके पुत्रो (सुखजी, हरजी एवं गोरधन, प्रहलाद के स्थान पर केलाश) के नाम दर्ज फैसल किया गया है। चूंकि अपीलान्ट के पिता का गलत नाम आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 8 दिनांक 16.9.1998 मे नही हुआ है। इसलिए आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2023 को लिखाया जा[illegible] न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.08 17:50:04 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर